भारत, बरामद धातुएँ (इलेक्ट्रॉनिक कचरा), बाल श्रम

ऐसी रिपोर्टें हैं कि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के हज़ारों बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरे) से धातुएँ निकालने के काम में लगे हुए हैं। रिपोर्टें दर्शाती हैं कि यह विशेष रूप से सीलमपुर के अनौपचारिक ई-कचरा प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रचलित है, जो भारत में ई-कचरे का सबसे बड़ा बाजार है। अनुमान है कि हजारों बच्चे मुख्य रूप से ई-कचरे के विखण्डन में लगे हैं, जिसमें पुनःचक्रित किए गए तांबे या एल्यूमीनियम को प्राप्त करने के लिए तार को अलग करना, बैटरियों से लिथियम को अलग करना, सर्किट बोर्ड को तोड़ना और पारा, सीसा और आर्सेनिक जैसी धातुओं को जलाना शामिल है। इन सामग्रियों के संपर्क में आना भारतीय श्रम कानूनों के तहत खतरनाक काम माना जाता है, क्योंकि वे बच्चों को त्वचा रोगों, श्वसन रोगों और विकासात्मक असामान्यताओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।